

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE, EXTRA ORDINARY)

Government of National Capital Territory of Delhi

Land and Building Department

(Planning Branch)

D-Block, Vikas Bhawan, I.P. Estate

New Delhi- 110002.

Dated 16/06/2017

NOTIFICATION

No.F.12(152)/2014/L&B/MP/PLG/ 2573 - In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 12 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) read with the Government of India, Ministry of Health, Family Planning and Urban Development notification No.18011 (29)/67-UD dated the 14th February, 1969, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby declares the following area described in the Schedule given below to be a "Development Area" for the purposes of the said Act, namely:-

SCHEDULE


| S. No. | Development Area No. | Name of Zone | Description of Area |
|--------|----------------------|------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 3/2015 | Urbanisable Area of Zone 'N' | Area falling under the list of 21 villages given below excluding the following area mentioned in clauses (i) to (xi) namely:- (i) Land/villages notified under green belt; (ii) Built up abadi areas; (iii) Notified extended laldora abadi of villages; (iv) Land under acquisition proceedings; (v) Land under unauthorized colonies proposed for regularization by the Government, as on the date of issue of this notification; (vi) Land where Delhi Development Authority or any other government agency has issued NOC or where the plan stands approved for development by any other Government agency as on the date of issue of this notification; (vii) Land under notified forests; (viii) Gram Sabha land transferred to Revenue Department; (ix) Central Government and other Government land (including use undetermined); (x) Land under any other Scheme of Government for which change of land use is under process under section 11A of the said Act as on the date of issue of this notification; and (xi) Pre-existing institutions which are under consideration for regularization. |



List of Villages:-

1. Bazidpur Thakran
2. Nangal Thakran
3. Bawana (Part in Zone P-1)
4. Puath Khurd (Part in Zone M)
5. Sultanpur Dabas
6. Salahpur Majra
7. Bhudhan Pur
8. Katawada
9. Jat Khor
10. Chandpur
11. Ladpur
12. Kanjhawla
13. Karala (Part in Zone M)
14. Madanpur Dabas (Part in Zone M)
15. Mohd Pur Majri (Part in Zone M)
16. Rani Khera (Part in Zone M)
17. Rasulpur
18. Ghewra (Part in Zone L)
19. Sawda
20. Daryapur Kalan (Part in Zone F-1)
21. Khera Khurd (Part in Zone M & Part in Zone P-1).

By orders and in the name of Lt Governor,
National Capital Territory of Delhi,


(ALOK SHARMA)


Deputy Secretary (L&B)
Govt. of N.C.T., Delhi.

No.12(152)/2014/L&B/MP/PLG/

Dated:

Copy forwarded to:-

1. General Administration Department, GNCTD (in duplicate) for favour of publication in Delhi Gazette.
2. Secretary to the Government of India, Ministry of Health and Family Planning & Works & Housing & Urban Development (Department of UD) New Delhi (with 4 spare copies)
3. Vice-Chairman, DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi.
4. Commissioner, South Municipal Corporation of Delhi.
5. Commissioner, North Municipal Corporation of Delhi.
6. Executive Officer (Impl.), DDA, Vikas Minar, New Delhi (with 5 spare copies).
7. Engineer Member, DDA, New Delhi.
8. Chief Town Planner, South Municipal Corporation of Delhi, Civic Centre, Minto Road, New Delhi-110002.
9. Chief Town Planner, North Municipal Corporation of Delhi, E-Block, 13th Floor, Civic Centre, Minto Road, New Delhi-110002.
10. Addl. Secretary (L&B), GNCTD, L&B Deptt., New Delhi-110002.
11. In-charge (Computer Cell), L&B Deptt., New Delhi-110002 with the request to update the entry on the website.
12. Central Record Room, L&B Department.
13. Legal Adviser, L&B Department


(ALOK SHARMA)
Deputy Secretary (L&B)
Govt. of N.C.T., Delhi.

(दिल्ली सरकार के असाधारण राजपत्र के भाग-4 में प्रकाशनार्थ)
 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
 भूमि एवं भवन विभाग
 (योजना शाखा)
 डी-ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-02

दिनांक : 16/06/2017

अधिसूचना

सं.एफ.12(152)/2014/मृ.व.भ./एम.पी./योजना/2573, -स्वास्थ्य परिवार नियोजन एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 18011(28)/67-दू.डी. दिनांक 14 फरवरी, 1989 के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957(1957 की 61) की धारा 12 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को उपराज्यपाल एतद् द्वारा घोषणा करते हैं कि निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित क्षेत्र उक्त अधिनियम के प्रयोजनों हेतु 'विकास क्षेत्र' होगा :-

अनुसूची

| क्र.सं. | विकास क्षेत्र सं० | जोन का नाम | क्षेत्र का विवरण |
|---------|-------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 3/2015 | जोन 'एन' का शहरीकरण योग्य क्षेत्र | <p>खण्ड (i) से (xi) में इल्लेखित निम्नलिखित क्षेत्र को छोड़कर नीचे दी गई 21 गांवों की सूची के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र:</p> <p>(i) इरित पट्टी के अंतर्गत अधिसूचित भूमि/गाँव;</p> <p>(ii) निर्मित आबादी क्षेत्र;</p> <p>(iii) गांवों की अधिसूचित जलडोरा आबादी;</p> <p>(iv) अधिग्रहण की कार्यवाही के अंतर्गत जमीन;</p> <p>(v) इस अधिसूचना के जारी करने की तारीख तक, सरकार द्वारा नियमितकरण के लिए प्रस्तावित अनधिकृत कॉलोनिया के अधीन भूमि;</p> <p>(vi) भूमि जहां दिल्ली विकास प्राधिकरण या किसी अन्य सरकारी एजेंसी ने अनापति पत्र जारी किया है या जहां किसी भी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा इस योजना के लिए मंजूरी दे दी है इस अधिसूचना के जारी करने की तारीख तक;</p> <p>(vii) अधिसूचित जंगलों के तहत भूमि;</p> <p>(viii) राजस्व विभाग को हस्तांतरित की गई ग्राम सभा की भूमि;</p> <p>(ix) केन्द्रीय सरकार की भूमि और अन्य सरकारी भूमि (अनिर्धारित उपयोग सहित);</p> <p>(x) सरकार की किसी अन्य योजना के तहत भूमि जिसके लिए इस अधिसूचना जारी करने की तिथि तक उक्त अधिनियम की धारा 11 ए के तहत भूमि उपयोग में परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है ; एतद्</p> <p>(xi) पूर्व-सौजूदा संस्थान जो नियमितकरण के लिए विचाराधीन है।</p> |

जोन 'एन' के अंतर्गत गाँवों की सूची

1. नाजिदपुर जयनरा
2. नांगल तकश
3. मजाना (जोन पी-1 में कुछ भाग)
4. पूतखुर्द (जोन एम में कुछ भाग)
5. सुल्तानपुर डबास
6. मलाहपुर मालवा
7. बुदनपुर
8. कटापडा
9. जाट खेड़ा
10. चौदपुर
11. लडपुर
12. लडावल
13. लसाल (जोन एम में कुछ भाग)
14. पदनपुर डबास (जोन एन में कुछ भाग)
15. मोहम्मदपुर साजरी (जोन एम में कुछ भाग)
16. सानोखेडा (जोन एम में कुछ भाग)
17. रसूलपुर
18. पेवर (जोन एन में कुछ भाग)
19. सयद
20. इरियापुर खला (जोन पी-1 में कुछ भाग)
21. खेड़ा खुर्द (जोन एम में कुछ भाग और जोन पी-1 में कुछ भाग) ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से एम
उनके नाम पर

(आलोक शर्मा)

उप-सचिव (भूमि एवं भवन)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

सं.एफ.12(152)/2014/भू.व.भ./एम.पी./योजना/.....

दिनांक

प्रति प्रेषित—

1. सामान्य प्रशासनिक विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, (दो प्रतियों में) दिल्ली के राज्यपाल में प्रकाशन हेतु ।
2. भारत सरकार के सचिव, रक्षात्मक एवं परिवार नियोजन एवं निर्माण और आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) नई दिल्ली (4 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित) ।
3. उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा., विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली ।
4. आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ।
5. आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम ।
6. कार्यकारी अधिकारी (कार्यालय), दि.वि.प्रा., विकास मंदिर, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)।
7. अभियंता सचय, दि.वि.प्रा., दिल्ली ।
8. मुख्य नगर नियोजक, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, लिटिक सेंटर, मिंटो रोड, नई दिल्ली-110002
9. मुख्य नगर नियोजक, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, ई-ब्लाक, 13वीं भजित, लिटिक सेंटर, मिंटो रोड, नई दिल्ली-110002
10. अतिरिक्त सचिव (भूमि एवं भवन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, भूमि एवं भवन विभाग, नई दिल्ली - 110002
11. प्रभारी (कम्प्यूटर शाखा) भूमि एवं भवन की वेबसाइट में अद्यतन करने के लिए ।
12. केंद्रीय रिकार्ड रुम, भूमि एवं भवन विभाग ।
13. कानूनी सलाहकार, भूमि एवं भवन विभाग ।

(आलोक शर्मा)

उप-सचिव (भूमि एवं भवन)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार